



GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH
NYAY ANUBHAG-1 (UCHCHA NYAYALAYA)
No.4/2026/1213/Saat-nyay-1-2026-07-1099/29/2021
Lucknow : Dated 31 August, 2026

NOTIFICATION
Miscellaneous

The Allahabad High Court (Court Managers' Centralized Service) Rules, 2026

In exercise of the powers conferred by clause (2) of Article 229 of the Constitution of India, the Chief Justice of the High Court of Judicature at Allahabad is hereby pleased to make the following rules for regulating the recruitment and conditions of service of Court Managers in the establishment of the High Court, namely:—

PART-I
GENERAL

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the *Allahabad High Court (Court Managers' Centralized Service) Rules, 2026*.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the *Official Gazette*.

Definitions

2. In these rules, unless the context otherwise requires,—
 - (a) "*Appointing Authority*" means the Registrar General of the High Court of Judicature at Allahabad;
 - (b) "*Chief Justice*" means the Chief Justice of the High Court of Judicature at Allahabad;
 - (c) "*Court Manager*" means a person appointed under these rules;
 - (d) "*District Courts*" means the Courts established in the State of Uttar Pradesh under the administrative control of the High Court of Judicature at Allahabad;
 - (e) "*Government*" means the Government of Uttar Pradesh;
 - (f) "*High Court*" means the High Court of Judicature at Allahabad;
 - (g) "*Selection Committee*" means a Committee constituted by the Chief Justice for purposes of rule 4 and 5;
 - (h) "*Service*" means the Allahabad High Court (Court Managers' Centralized Service) Rules, 2026;
 - (i) "*State*" means the State of Uttar Pradesh;
 - (j) "*Registrar General*" means the Registrar General of the High Court of Judicature at Allahabad; and
 - (k) "*Year of recruitment*" means a period of twelve months commencing on the first day of January of a calendar year.

PART-II
CADRE

Cadre Strength

3. (1) The cadre strength and the number of posts therein shall be as determined by the High Court with the approval of the Governor;
(2) The cadre strength at the time of the commencement of these rules, along with the posts, designations, grades, and pay scales, shall be as mentioned in Schedule-I to these Rules;
(3) The High Court may, from time to time, with the approval of the

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

Governor, create such number of additional posts as may be considered necessary.

PART-III RECRUITMENT

- Recruitment** 4. Recruitment to the service shall be made by the Appointing Authority in the following manner:—
(a) Recruitment to the cadre of Court Managers shall be made by direct recruitment only, except as provided in Rule 5 below.
- Regularization** 5. (1) The existing Court Managers who were engaged on contractual basis before commencement of these Rules shall be absorbed in the newly created posts of Court Managers, subject to their suitability (to be assessed by the Selection Committee); and they shall be entitled to the pay, allowances, and other facilities admissible to the post of Court Manager under these rules.
(2) The Court Managers so absorbed shall be deemed to have been regularised with effect from the date of their initial engagement. Such regularisation shall confer upon them continuity of service for all purposes, including eligibility for terminal benefits; however, they shall not be entitled to receive any arrears of pay, if any, arising out of the difference between the salary actually drawn by them from the date of initial appointment till the date of regularisation; and
(3) After absorption of the existing Court Managers, the remaining vacant posts shall be filled by direct recruitment following the procedure mentioned in Rule 6.
- Procedure of Direct Recruitment** 6. (1) Direct recruitment to the post of Court Manager shall be made through open competitive examination, by the Appointing Authority as approved by the Chief Justice.
(2) The Selection Committee shall prepare a list of all candidates who have qualified, in order of merit, in accordance with the aggregate marks obtained by each candidate in the Test/Interview, as mentioned in Schedule-II. If two or more candidates obtain equal marks, the order of merit in respect of such candidates shall be determined on the basis of their age, with the older person or persons placed higher in the order of merit.
(3) The Selection Committee shall furnish the list of candidates to the Chief Justice for direct recruitment.
(4) After the approval of the Chief Justice, the Appointing Authority shall appoint the candidates from the said list against the vacancies notified.

PART-IV QUALIFICATION AND RESERVATION

- Qualification for direct recruitment** 7. (1) No person shall be eligible for appointment to the post of Court Manager by direct recruitment unless he or she possesses the following qualifications:
(i) Bachelor's degree in any stream, with a Master's in Business Administration or a Post Graduate Diploma in General Management from a University or Institution in India recognized by the University Grants Commission;
(ii) Five (5) years of working experience in Process Management,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

I.T. Systems Management, Human Resources Management, or Financial Management;

(iii) Good computer application skills, with at least a six-month diploma in Computer Application;

(iv) is more than 25 (twenty-five) years of age and less than 40 (forty) years of age, on the last date for receipt of applications;

Provided that the upper age limit for candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, and other reserved categories shall be as per the Government Orders issued in this behalf and adopted by the High Court from time to time.

- | | |
|-------------------------|---|
| Disqualification | 8. No person shall be eligible for appointment to or confirmation to the service:
(a) if he/she is not a citizen of India;
(b) if he or she has more than one living spouse. |
| Reservation | 9. The reservation policy, as formulated by the State Government from time to time and as prescribed by any law for the time being in force, and as adopted by the High Court, shall be followed in the case of direct recruitment.
Provided that after the enforcement of these Rules, the first exercise of absorption shall not be subject to this provision. |
| Character | 10. A candidate for direct recruitment shall produce to the Centralised Recruitment Cell certificates of good character from:
(i) The Principal or Academic officer of the University or College in which he or she last studied, or from the last employer;
(ii) Two respectable persons who are well acquainted with the candidate but not related to him or her. |

PART-V

APPOINTMENT, PROBATION, CONFIRMATION AND TRANSFER

- | | |
|------------------------------------|---|
| Appointment | 11. (1) Subject to the provisions of sub-rule (2) of this rule, appointment under rule 6 shall be made by the Appointing Authority in accordance with the order of preference determined in the list referred to in sub-rule (4) of rule 6.
(2) The inclusion of a candidate's name in the list mentioned in sub-rule (4) of rule 6 shall not confer any right to appointment unless the Appointing Authority is satisfied, after such enquiry as may be prescribed by the High Court from time to time and as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the service. |
| Probation and Confirmation- | 12. (1) A candidate appointed to the post of Court Manager shall be placed on probation for a period of one year from the date of joining the post:
Provided that the Appointing Authority may, for reasons to be recorded in writing, extend the period of probation by one year;
Provided further that the total period of probation, including any extension, shall not exceed two years.
(2) After the completion of the period of probation to the satisfaction of the Appointing Authority, a probationer shall be confirmed against a permanent post, subject to the following conditions: |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

(a) He or she has completed the period of probation to the satisfaction of the Appointing Authority in accordance with sub-rule (1);

(b) He or she has successfully completed training and passed the departmental examination, if any, prescribed by the High Court.

(3) Notwithstanding anything contained in these sub-rules, the Appointing Authority may, at any time during the period of probation, discharge a probationer from service on account of his or her unsuitability for the service.

Transfer and posting

13. (1) The post of Court Manager in the District Courts shall be transferable throughout the State of Uttar Pradesh, to any establishment under the control of the High Court.
- (2) The High Court reserves the right to transfer a Court Manager from one place to another at any time.

**PART-VI
PAY**

Pay and allowances

14. (1) A Court Manager shall be entitled to the pay specified in Schedule I, shall receive an annual increment on the basic pay, and shall also be entitled to such allowances as are admissible to other Government employees in the same pay scale.
- (2) A Court Manager shall be entitled to the benefits of Assured Career Progression (ACP) scheme and other allowances as are permissible to the employees of the Government of Uttar Pradesh in the same pay scale.

**PART-VII
DISCIPLINE, CONDUCT AND APPEAL**

Disciplinary Authority-

15. (1) The Appointing Authority shall be the Disciplinary Authority.
- (2) Disciplinary proceedings shall be governed by the Uttar Pradesh Government Servant (Discipline and Appeal) Rules, 1999.

Conduct-

16. The U.P. Government Servant's Conduct Rules, 1956 and the Uttar Pradesh Government Servant (Discipline and Appeal) Rules, 1999 shall be applicable to the post of Court Manager.

Appeal-

17. An appeal shall lie to the High Court against any final order passed by the Disciplinary Authority in a disciplinary proceeding, as well as against any order of suspension. Such appeal, under Rule 11 of the Uttar Pradesh Government Servant (Discipline and Appeal) Rules, 1999, shall be filed within ninety days from the date of the order;

Provided that the Appellate Authority may entertain the appeal after the expiry of the said period if it is satisfied that the appellant had sufficient cause for not filing the appeal within the prescribed time.

**PART-VIII
OTHER PROVISIONS**

Training

19. Every person appointed to the post of Court Manager shall undergo training at the Judicial Training & Research Institute, Uttar Pradesh or at such other institute, for such period as may be determined by the High Court.

Duties and Responsibilities-

20. (1) The Court Manager shall assist in the administrative functioning of the Courts to enhance the efficiency of Court

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

Management, and shall perform such duties as may be assigned to him or her by the Registrar General or the District Judge, as the case may be.

(2) The Court Manager in the High Court and in the District Courts shall work under the control of the Registrar General or the District Judge, respectively.

(3) The Court Manager shall at all times maintain secrecy and confidentiality and shall not divulge to any outside agency or person, any information that may come to his or her knowledge under any circumstances. Breach of this condition shall amount to misconduct.

Retirement-

21. Except as otherwise provided in these Rules, the Court Manager shall retire from service on the afternoon of the last day of the month in which he or she attains the age of 60 years:

Provided that all employees whose date of birth falls on the 1st day of a month shall retire from service on the afternoon of the last day of the preceding month upon attaining the age of 60 years:

Provided further that in case the State Government adopts a policy decision to change the age of superannuation, the same shall be applicable to the Court Managers.

Retirement in Public Interest-

22. The High Court shall review the career progress and performance of a member of the service in accordance with the Fundamental Rules. If the High Court considers that, in the public interest, any such member should retire from service, he or she shall be compulsorily retired by giving him or her a notice of not less than 3 (three) months' pay and allowances in lieu thereof.

Lien-

23. Lien for Court Managers shall be permissible for a period of two years after confirmation in the cadre.

Residuary Provision and Power to Relax-

24. (1) Any matter not specifically provided for herein shall be dealt with by the Chief Justice, by a general or special order.

(2) Where the Chief Justice is of the opinion that the operation of any Rule causes undue hardship in a particular case, he may, by order, relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as he may deem necessary.

Other condition of service interpretation-

25. Except as provided in these Rules, all matters relating to pay and allowances, leave, discipline, pension, and other conditions of service shall be regulated by the general rules and/or orders of the Government for the time being in force.

Interpretation

26. If any question arises relating to the interpretation of these Rules, the decision of the Chief Justice shall be final.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

<u>CCHEDULE-I</u>					
Sl. No.	Name of post	Cadre	For High Court	For District Court	Total
1.	Court Manager Rs. 56,100 – 1,77,500 (Level-10)	Group-B (Gazetted)	6	75	81

<u>SCHEDULE-II</u>		
<u>Scheme and Syllabus for the examination</u>		
Selection process shall be conducted in two phases, namely, (1) Written Examination & (2) Interview. The topic for the project report shall be notified by the High Court at the time of declaration of the result of the written examination.		
The written examination shall consist of an objective type (multiple choices) Examination consisting of 3(three) papers with breakup of marks as follows:		
Phase 1		
Sl. No.	<u>Paper-I</u> (Duration- 2 hours) Subject components	Maximum Marks
1.	Introduction of Management, Communication, Organizational Behaviour, Quantitative Technique, Research Methodology, Financial Management, Human Resource Management, Computer Skills	100
Sl. No.	<u>Paper-II</u> (Duration- 45 minutes) Subject components	Maximum Marks
2.	<u>General Knowledge, legal Knowledge & General Aptitude</u>	50
Sl. No.	<u>Paper-III</u> (Duration- 45 minutes) Subject components	Maximum Marks
3.	<u>Language:</u> <u>(a) Hindi</u> <u>(b) English</u>	50
Phase 2		
Sl. No.	Subject components	Maximum Marks
1.	Interview & Project Report	20+30=50

(Udai Pratap Singh)
Principal Secretary.

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन
न्याय अनुभाग-1 (उच्च न्यायालय)
संख्या-4/2026/1213/सात-न्याय-1-2026-07-1099/29/2021
लखनऊ : दिनांक 31 अगस्त, 2026

अधिसूचना
प्रकीर्ण

इलाहाबाद उच्च न्यायालय (कोर्ट मैनेजर केंद्रीयकृत सेवा) नियमावली, 2026

भारत का संविधान के अनुच्छेद 229 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय इलाहाबाद एतद्वारा उच्च न्यायालय के अधिष्ठान में कोर्ट मैनेजरों की भर्ती और सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, अर्थात्:-

भाग-एक

सामान्य

- | | |
|---------------------------------|---|
| संक्षिप्त नाम और प्रारंभ | 1. (1) यह नियमावली इलाहाबाद उच्च न्यायालय (कोर्ट मैनेजर केंद्रीयकृत सेवा) नियमावली, 2026 कही जायेगी ।
(2) यह सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी । |
| परिभाषाएं | 2. जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में,
(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के महानिबन्धक से है;
(ख) "मुख्य न्यायाधीश" का तात्पर्य उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधीश से है;
(ग) "कोर्ट मैनेजर" का तात्पर्य इस नियमावली के अधीन नियुक्त व्यक्ति से है;
(घ) "जिला न्यायालय" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य में उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन स्थापित न्यायालय से है;
(ङ.) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है;
(च) "उच्च न्यायालय" का तात्पर्य उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से है;
(छ) "चयन समिति" का तात्पर्य मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियम 4 और 5 के प्रयोजनों के लिए गठित समिति से है; |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

(ज) "सेवा" का तात्पर्य इलाहाबाद उच्च न्यायालय (कोर्ट मैनेजर केन्द्रीयकृत सेवा) नियमावली, 2026 से है;

(झ) "राज्य" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य से है;

(ञ) "महानिबंधक" का तात्पर्य उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के महानिबंधक से है; और

(ट) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष की प्रथम जनवरी से प्रारम्भ होने वाली बारह माह की अवधि से है।

भाग-दो

संवर्ग

- संवर्ग सदस्य संख्या** 3. (1) संवर्ग सदस्य संख्या और उसमें पदों की संख्या राज्यपाल के अनुमोदन से उच्च न्यायालय द्वारा यथाअवधारित होगी।
- (2) इस नियमावली के प्रारंभ होने के समय संवर्ग सदस्य संख्या, पद, पदनाम, श्रेणी और वेतनमान समेत इस नियमावली के अनुसूची-एक में यथाउल्लिखित होगी।
- (3) उच्च न्यायालय समय-समय पर राज्यपाल के अनुमोदन से ऐसे अतिरिक्त पदों, जिन्हें आवश्यक समझा जाए, का सृजन कर सकता है।

भाग-तीन

भर्ती

- भर्ती** 4. नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सेवा में भर्ती निम्नलिखित प्रकार से की जाएगी-
- (क) कोर्ट मैनेजरों के संवर्ग की भर्ती नीचे नियम 5 में यथा उपबंधित के सिवाय केवल सीधी भर्ती द्वारा ही की जाएगी।
- नियमितीकरण** 5. (1) विद्यमान कोर्ट मैनेजर, जो इस नियमावली के प्रारंभ होने से पूर्व संविदात्मक के आधार पर कार्यरत थे, को, उनकी उपयुक्तता (जिसका मूल्यांकन चयन समिति द्वारा किया जाएगा) के अधीन रहते हुए, कोर्ट मैनेजरों के नवसृजित पदों में आमेलित किया जाएगा; और वे इस नियमावली के अधीन कोर्ट मैनेजर के पद के लिए अनुमन्य वेतन, भत्तों तथा अन्य सुविधाओं के हकदार होंगे।
- (2) इस प्रकार आमेलित किए गए कोर्ट मैनेजरों को उनकी प्रारंभिक नियोजन के दिनांक से नियमित समझा जाएगा। इस प्रकार के नियमितीकरण से उन्हें सेवांत प्रसुविधाओं के लिए पात्रता सहित समस्त प्रयोजनों हेतु सेवा की निरंतरता प्राप्त होगी, तथापि, वे प्रारंभिक नियुक्ति के दिनांक से नियमितीकरण

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

के दिनांक तक उनके द्वारा वास्तविक रूप से प्राप्त वेतन, यदि है, के अंतर से उत्पन्न किसी भी बकाया वेतन को प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे; और

(3) विद्यमान कोर्ट मैनेजर्स को समाहित करने के पश्चात्, शेष रिक्त पदों को नियम 6 में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा भरा जाएगा।

सीधी भर्ती की प्रक्रिया 6.

(1) कोर्ट मैनेजर के पद पर सीधी भर्ती मुख्य न्यायाधीश द्वारा अनुमोदित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा खुली प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से की जाएगी।

(2) चयन समिति अनुसूची-दो में उल्लिखित परीक्षा/साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंकों के अनुसार, मेधा क्रम में, सभी अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों को समान अंक प्राप्त होते हैं, तो ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में मेधा क्रम उनकी आयु के आधार पर अवधारित किया जाएगा, जिसमें अधिक आयु वाले व्यक्ति या व्यक्तियों को मेधा क्रम में उच्चतर स्थान दिया जाएगा।

(3) चयन समिति सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों की सूची मुख्य न्यायाधीश को प्रस्तुत करेगी।

(4) मुख्य न्यायाधीश के अनुमोदन के पश्चात्, नियुक्ति प्राधिकारी उक्त सूची से अधिसूचित रिक्तियों में अभ्यर्थियों की नियुक्ति करेगा।

भाग-चार

अर्हता और आरक्षण

सीधी भर्ती के लिए अर्हता

7.

(1) कोई भी व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा कोर्ट मैनेजर के पद पर नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि उसके पास निम्नलिखित अर्हताएं न हों:

(एक) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त भारत के किसी विश्वविद्यालय या संस्था से किसी भी संकाय (स्ट्रीम) में स्नातक की उपाधि, साथ ही बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में स्नातकोत्तर उपाधि या सामान्य प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा;

(दो) प्रक्रम प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी तंत्र प्रबंधन, मानव संसाधन प्रबंधन, अथवा वित्तीय प्रबंधन में पांच (5) वर्ष का कार्य अनुभव;

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(तीन) कंप्यूटर एप्लीकेशन में न्यूनतम छह महीने के डिप्लोमा के साथ कंप्यूटर एप्लीकेशन में अच्छा कौशल;
(चार) आवेदन प्राप्त करने के अंतिम दिनांक को 25 (पच्चीस) वर्ष से अधिक और 40 (चालीस) वर्ष से कम आयु का हो;
परंतु यह कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य आरक्षित श्रेणियों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा इस निमित्त जारी किए गए और उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर अंगीकृत किये गए शासनादेशों के अनुसार होगी।

निरर्हता

8. कोई भी व्यक्ति इस सेवा में नियुक्ति या स्थायीकरण के लिए पात्र नहीं होगा:

(क) यदि वह भारत का नागरिक नहीं है;
(ख) यदि उसके एक से अधिक जीवित पति या पत्नी हों।

आरक्षण

9. सीधी भर्ती के मामले में, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा-प्रतिपादित और तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा यथा-विहित एवं उच्च न्यायालय द्वारा यथा-अंगीकृत आरक्षण नीति का अनुसरण किया जाएगा।

परन्तु इस नियमावली के प्रवर्तन के पश्चात, आमेलन का प्रथम प्रयोग इस उपबंध के अध्यक्षीन नहीं होगा।

चरित्र

10. सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी केन्द्रीय भर्ती प्रकोष्ठ को निम्नलिखित संस्थाओं से अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा:-

(एक) उस विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के प्रधानाचार्य या शैक्षणिक अधिकारी, जिसमें उसने अंतिम बार अध्ययन किया था, या अंतिम नियोक्ता से;
(दो) दो सम्मानित व्यक्ति जो अभ्यर्थी से अच्छी तरह परिचित हों, लेकिन उससे संबंधित न हों।

भाग-पाँच

नियुक्ति, परीक्षा, स्थायीकरण और स्थानांतरण

नियुक्ति

11. (1) इस नियम के उप-नियम (2) के उपबंधों के अध्यक्षीन, नियम 6 के अधीन नियुक्ति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियम 6 के उप-नियम (4) में निर्दिष्ट सूची में अवधारित वरीयता क्रम के अनुसार की जाएगी।
(2) नियम 6 के उप-नियम (4) में उल्लिखित सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित होने से उसे नियुक्ति का कोई

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

अधिकार प्राप्त नहीं होगा, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी, उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर विहित निर्धारित और आवश्यक समझी जाने वाली ऐसी जाँच के बाद संतुष्ट न हो जाए कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।

**परिवीक्षा और
स्थायीकरण**

12. (1) कोर्ट मैनेजर के पद पर नियुक्त अभ्यर्थी को पद ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जाएगा:

परंतु यह कि नियुक्ति प्राधिकारी, लिखित रूप में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, परिवीक्षा अवधि को एक वर्ष तक बढ़ा सकता है;

परंतु यह और भी कि परिवीक्षा की कुल अवधि, जिसमें कोई विस्तार भी सम्मिलित है, दो वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी की संतुष्टि पर परिवीक्षा अवधि पूरी होने के पश्चात, परिवीक्षाधीन कर्मचारी को निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्थायी पद पर स्थायी कर दिया जाएगा:

(क) उसने उप-नियम (1) के अनुसार नियुक्ति प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुरूप परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली है;

(ख) उसने प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और उच्च न्यायालय द्वारा विहित विभागीय परीक्षा, यदि कोई हो, उत्तीर्ण कर ली है।

(3) इन उप-नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, नियुक्ति प्राधिकारी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय, परिवीक्षाधीन कर्मचारी को सेवा के लिए अनुपयुक्तता के कारण सेवोन्मुक्त कर सकता है।

**स्थानांतरण और
तैनाती**

13. (1) जिला न्यायालयों में कोर्ट मैनेजर का पद सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में, उच्च न्यायालय के नियंत्रणाधीन किसी भी अधिष्ठान में स्थानांतरणीय होगा।
- (2) कोर्ट मैनेजर का स्थानांतरण किसी भी समय एक स्थान से दूसरे स्थान पर करने का अधिकार उच्च न्यायालय के पास सुरक्षित होगा।

भाग-छह

वेतन

वेतन और भत्ते

14. (1) कोर्ट मैनेजर अनसूची-एक में विनिर्दिष्ट वेतन पाने का हकदार होगा, मूल वेतन पर वार्षिक वेतन वृद्धि प्राप्त होगी,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

और ऐसे भर्तों को पाने का भी हकदार होगा जैसाकि उसी वेतन-मान वाले अन्य सरकारी कर्मचारियों को अनुमन्य हो।
(2) कोर्ट मैनेजर 'सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन' (ए सी पी) योजना और ऐसे अन्य भर्तों का लाभ पाने का हकदार होगा, जैसाकि उसी वेतनमान वाले उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को अनुमन्य हो।

भाग-सात

अनुशासन, आचरण और अपील

अनुशासनिक प्राधिकारी-

15. (1) नियुक्ति प्राधिकारी ही अनुशासनिक प्राधिकारी होगा।
(2) अनुशासनिक कार्यवाही उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन और अपील) नियमावली, 1999 द्वारा शासित होगी।

आचरण-

16. उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 और उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) नियमावली, 1999 कोर्ट मैनेजर के पद पर लागू होगी।

अपील-

17. अनुशासनिक कार्यवाही में अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा पारित किसी भी अंतिम आदेश, और साथ ही निलंबन के किसी भी आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जायेगी। ऐसी अपील, उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन और अपील) नियमावली, 1999 के नियम 11 के अधीन, आदेश के दिनांक से 90 दिनों के भीतर दाखिल की जायेगी; परन्तु यह कि अपील प्राधिकारी उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी अपील पर विचार कर सकता है, यदि उसका समाधान हो जाय कि अपीलार्थी के पास विहित समय के भीतर अपील न करने का पर्याप्त कारण था।

भाग-आठ

अन्य उपबंध

प्रशिक्षण

19. कोर्ट मैनेजर के पद पर नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति 'न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसन्धान संस्थान, उत्तर प्रदेश' में या ऐसे किसी अन्य संस्थान में ऐसी अवधि के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करेगा जैसाकि उच्च न्यायालय द्वारा अवधारित किया जाय।

कर्तव्य और उत्तरदायित्व-

20. (1) कोर्ट मैनेजर न्यायालय प्रबंधन की दक्षता में वृद्धि के लिए न्यायालयों के प्रशासनिक कार्य करने में सहायता करेगा और यथास्थिति महानिबंधक या जिला न्यायाधीश द्वारा उसे समनुदेशित कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(2) कोर्ट मैनेजर उच्च न्यायालय और जिला न्यायालयों में क्रमशः महानिबंधक या जिला न्यायाधीश के नियंत्रणाधीन कार्य करेगा।

(3) कोर्ट मैनेजर हर समय गुप्तता और गोपनीयता बनाए रखेगा और किसी भी बाह्य अभिकरण या व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में उसके संज्ञान में आने वाली कोई भी जानकारी प्रकट नहीं करेगा। इस शर्त का उल्लंघन अवचार माना जाएगा।

सेवा-निवृत्ति-

21. इस नियमावली में अन्यथा उपबंधित के सिवाय कोर्ट मैनेजर उस महीने के अंतिम दिन अपराहन को सेवा से सेवा-निवृत्त हो जाएगा/जाएगी, जिस महीने वह 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है:

परन्तु यह कि समस्त कर्मचारी, जिनकी जन्मतिथि महीने के प्रथम दिन पड़ती है, 60 वर्ष की आयु प्राप्त होने पर पूर्ववर्ती महीने के अंतिम दिन अपराहन को सेवा से सेवानिवृत्त होंगे, परन्तु यह और कि यदि राज्य सरकार अधिवर्षता की आयु में परिवर्तन करने के लिए कोई नीतिगत विनिश्चय करती है, तो वह कोर्ट मैनेजरों पर भी लागू होगा।

**लोक हित में सेवा-
निवृत्ति-**

22. उच्च न्यायालय, मौलिक नियमों के अनुसार सेवा के किसी सदस्य के कैरियर की प्रगति और प्रदर्शन की समीक्षा करेगा। यदि उच्च न्यायालय का विचार है कि लोक हित में, ऐसा कोई सदस्य सेवा से सेवानिवृत्त हो जाना चाहिए, तो उसे उसके बदले अन्यून 3 (तीन) महीने के वेतन और भत्तों का नोटिस देकर अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा।

धारणाधिकार-

23. संवर्ग में स्थायीकरण के पश्चात कोर्ट मैनेजर के पद पर दो वर्ष की अवधि के लिए धारणाधिकार अनुज्ञेय होगा।

**अवशिष्ट उपबंध और
शिथिल करने की
शक्ति-**

24. (1) इसमें विशेष रूप से उपबंधित न किए गए किसी भी मामले का, मुख्य न्यायाधीश द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निस्तारण किया जाएगा।

(2) जहाँ मुख्य न्यायाधीश की यह राय हो कि किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशेष मामले में अनुचित कठिनाई उत्पन्न होती है, तो वह आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को ऐसी सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन, जो वह आवश्यक समझे, शिथिल कर सकेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- सेवा निर्वचन की अन्य शर्तें-** 25. इस नियमावली में यथा उपबंधित के सिवाय, वेतन और भत्तों, अवकाश, अनुशासन, पेंशन तथा सेवा की अन्य शर्तों से संबंधित समस्त विषय, समय-समय पर प्रवृत्त सरकार के सामान्य नियमों एवं/अथवा आदेशों द्वारा विनियमित होंगे।
- निर्वचन** 26. यदि इस नियमावली के निर्वचन से संबंधित कोई प्रश्न उत्पन्न हो, तो मुख्य न्यायाधीश का विनिश्चय अंतिम होगा।

अनुसूची-एक					
क्रम सं.	पद का नाम	संवर्ग	उच्च न्यायालय हेतु	जिला न्यायालय हेतु	कुल
1.	न्यायालय प्रबंधक (कोर्ट मैनेजर) रू0 56,100-1,77,500 (लेवल-10)	समूह-ख (राजपत्रित)	6	75	81

अनुसूची-दो		
परीक्षा के लिए योजना एवं पाठ्यक्रम		
चयन प्रक्रिया दो चरणों में आयोजित की जाएगी, अर्थात् (1) लिखित परीक्षा और (2) साक्षात्कार। प्रोजेक्ट रिपोर्ट का विषय लिखित परीक्षा के परिणाम घोषित होने के समय उच्च न्यायालय द्वारा अधिसूचित किया जायेगा।		
लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार (बहुविकल्पीय) की परीक्षा होगी जिसमें निम्नवत अंक विभाजन के साथ 3 (तीन) प्रश्नपत्र होंगे:		
प्रथम चरण		
क्रम सं.	प्रश्नपत्र-एक (अवधि - 2 घंटे) विषय घटक	अधिकतम अंक
1.	प्रबंधन का परिचय, सम्प्रेषण, संगठनात्मक व्यवहार, मात्रात्मक तकनीक, अनुसंधान पद्धति, वित्तीय प्रबंधन, मानव संसाधन प्रबंधन एवं कंप्यूटर कौशल	100
क्रम सं.	प्रश्नपत्र-दो (अवधि - 45 मिनट) विषय घटक	अधिकतम अंक
2.	<u>सामान्य ज्ञान, विधिक ज्ञान एवं सामान्य अभिक्रमता</u>	50
क्रम सं.	प्रश्नपत्र-तीन (अवधि - 45 मिनट) विषय घटक	अधिकतम अंक
3.	<u>भाषा:</u> <u>(क) हिन्दी</u> <u>(ख) अंग्रेजी</u>	50

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

द्वितीय चरण		
क्रम सं.	विषय घटक	अधिकतम अंक
1.	साक्षात्कार एवं प्रोजेक्ट रिपोर्ट	20+30=50

ह0/-

उदय प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव ।

<http://shasanadesh.up.gov.in>

-
- 1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।